न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 86/2015 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2015/00003

1. रणजीत सिह पुत्र गुमानसिंह अकवाम जटसिख निवासी साहिबसिंह वाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. रघुवीर सिंह पुत्र गुमानसिंह अकवाम जटसिख निवासी साहिबसिंह वाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. राजेन्द्र कौर पुत्री तारासिंह अकवाम जटसिख निवासी साहिबसिंह वाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. रणजीत कौर पुत्री तारासिंह अकवाम जटसिख निवासी साहिबसिंह वाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. रतनकौर पुत्री तारासिंह अकवाम जटसिख निवासी साहिबसिंह वाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुखदेव सिंह पुत्र निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी 7 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. कुलवीर सिंह पुत्र निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी 7 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर।
4. सुजान कौर बेवा तारासिंह जटसिख निवासी साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री हरीश मदान — अभिभाषक अपीलांट
श्री मदन सुरोलिया — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय

दिनांक 07.06.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टकर प्रशासन श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 25.06.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि वाके चक 2 बी डब्ल्यू.एस.एम. के पत्थर नंबर 289/355 मुरब्बा नंबर 4 के 5.693 हैक्टेयर रकबा खातेदारी भूमि है। उक्त विवादित भूमि अपीलांट 3 ता 5 के पिता तारासिंह के नाम दर्ज खातेदारी भूमि है। तारासिंह ने अपने जीवन काल में एक वसीयत अपनी पत्नि श्रीमती सुजानकौर के हक में दिनांक 19.02.1990 को तस्दीक करवाई। तारासिंह के दिनांक 01.05.1990 को देहान्त हो जाने के बाद आराजी का इंतकाल संख्या 58 दिनांक 03.06.1995 को तस्दीक किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 द्वारा वादग्रस्त भूमि का हस्तांतरण जरिये बैयनामा अपीलांट्स के हक में कर दिया। अपीलांट संख्या 1 द्वारा तारासिंह के वारिस होने के आधार पर उपखण्ड अधिकारी के समक्ष एक वादपत्र प्रस्तुत किया, जिसे उपखण्ड अधिकारी ने खारिज कर दिया। उक्त प्रकरण वर्तमान में माननीय उच्च न्यायलय जोधपुर की खण्डपीठ में विचाराधीन हैं। आदेश दिनांक 18.03.2015 के माध्यम से इंतकाल संख्या 102 तस्दीक किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने दोनो पक्षों को सुनकर दिनांक 25.06.2022 को इंतकाल संख्या 102 को निरस्त कर दिया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2022 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री हरीश मदान ने कथन किया कि मेरा अपील मीमो ही मेरी बहस है।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 श्री मदन सुरोलिया ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलाधीन इंतकाल संख्या 102 उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के आदेश से स्वीकृत किया गया है। तारासिंह की वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज हुआ हैं। दावा एकपक्षीय डिक्री हुआ था। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि क्रय की हुई है। राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपील खारिज की गई थी। राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील दायर हुई, जहां से भी अपील खारिज हुई है। अपीलाधीन नामान्तरण एकपक्षीय पारित

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

किया गया है। डिक्री की इजराय भी नहीं हुई। केवल इन्तकाल से अधिकार तय नहीं होते है। वर्तमान में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इस स्तर पर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। वादग्रस्त भूमि वाके चक 2 बी डब्ल्यू.एस. एम. के पत्थर नंबर 289/355 मुरब्बा नंबर 4 के 5.693 हैक्टेयर रकबा खातेदारी भूमि है। विवादित भूमि से संबधित एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में विचाराधीन होने के कारण इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई अपील का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अपील से संबंधित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण हम उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते। अतः माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्डपीठ में विचाराधीन प्रकरण में पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अध्याधीन अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर